कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 35/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस–विज्ञप्ति, दिनांक :23.01.2026

थाना रानी की सराय :, जनपद आजमगढ़

अवैध असलहा, कारतूस तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा प्रभावी चेकिंग अभियान के दौरान **एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस एवं चोरी की मोटरसाइकिल** के साथ **दो अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है।

1. पूर्व की घटना / अभियोग का विवरण (संक्षेप में):

दिनांक **23.01.2026** को उ0नि0 **सूरज तिवारी**, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 12/2026**, धारा **317(2)/317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट** बनाम

1. **राजन विश्वकर्मा पुत्र लालमणि**, निवासी पलिया सोफीगंज, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
2. **मंजीत जायसवाल पुत्र स्व0 काली प्रसाद**, निवासी चण्डेसर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

   पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण:

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में उ0नि0 सूरज तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति **एक चोरी की बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल** से बढ़ैला ताल की ओर से उंचीगोदाम की ओर जा रहे हैं।

सूचना पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही कर उन्हें माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

तलाशी के दौरान—

- अभियुक्त **राजन विश्वकर्मा** के कब्जे से **एक अदद अवैध देशी तमंचा (.315 बोर)** एवं **एक अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर)** बरामद हुआ।
- अभियुक्त **मंजीत जायसवाल** ने पूछताछ में मोटरसाइकिल चोरी कर उसके पुर्जे अलग-अलग बेचने की बात स्वीकार की।

3. गिरफ्तारी का स्थान एवं समय:

ग्राम **बढ़ैला ताल से उंचीगोदाम की ओर**, दिनांक **23.01.2026**, समय **लगभग 10:30 बजे**

4. पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 **12/2026**, धारा **317(2)/317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट**

5. गिरफ्तार अभियुक्त:

1. राजन विश्वकर्मा पुत्र लालमणि, निवासी पलिया सोफीगंज, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
2. मंजीत जायसवाल पुत्र स्व0 काली प्रसाद, निवासी चण्डेसर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

6. बरामदगी:

➡ एक अदद अवैध तमंचा (.315 बोर)

➡ एक अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर)

➡ एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल

7. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 **सूरज तिवारी**, का0 **प्रमोद यादव**, का0 **चन्द्रजीत** थाना रानी की सराय

प्रेस–नोट
थाना : बरदह, जनपद आजमगढ़
नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व शारीरिक संबंध बनाने के प्रकरण में अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहासः

दिनांक **03.12.2025** को वादिनी द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि दिनांक **02.12.2025** को सायं लगभग **06:00 बजे** उसकी **15 वर्षीय नाबालिग पुत्री** को **विनय पुत्र सुबेदार**, निवासी ग्राम बरौना, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण परिवार अत्यंत परेशान था।

उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 383/25**, धारा **137(2)/87 बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक **21.01.2026** को अपहृता की बरामदगी की गई। अपहृता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा **65(1) बीएनएस** एवं **5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरणः

आज दिनांक **23.01.2026** को उ0नि0 **संजय कुमार** मय हमराह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **विनय पुत्र सुबेदार**, निवासी ग्राम बरौना, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को **खराट** से समय **12:50 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

विनय पुत्र सुबेदार, निवासी ग्राम बरौना, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः

मु0अ0सं0 **383/25**, धारा **137(2)/87/65(1) बीएनएस** एवं **5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 **संजय कुमार**, थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 **विद्याकान्त**, थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 **ललित सरोज**, थाना बरदह, आजमगढ़

अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रेस नोट
थाना : अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
साइबर फ्राड के प्रकरण में पीड़ित को 9,200 रुपये की धनराशि वापस कराई गई

दिनांक **20.06.2025** को आवेदक **मोहित कुमार पुत्र पथरु**, निवासी चिश्तीपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ द्वारा गलत पेमेंट हो जाने के कारण कुल **20,200 रुपये** डेबिट हो जाने के संबंध में **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना अतरौलिया पर साइबर शिकायत संख्या **331062500XXXX** पंजीकृत की गई।
साइबर हेल्पडेस्क थाना अतरौलिया द्वारा तत्परता से की गई कार्यवाही के क्रम में आवेदक की धनराशि में से **9,200 रुपये होल्ड** कराए गए। माननीय न्यायालय के आदेश (फंड रिलीज ऑर्डर) के अनुपालन में विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित बैंक के माध्यम से आवेदक के खाते में **9,200 रुपये की धनराशि वापस कराई गई।**

उक्त कार्यवाही **प्रभारी साइबर हेल्पडेस्क उ0नि0 अभिषेक यादव**, कम्प्यूटर ऑपरेटर **आशीष कुमार** एवं पुलिस टीम के सहयोग से संपन्न कराई गई।

जनपद पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल **1930** पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस नोट

दिनांक : 23.01.2026

श्रीमान जिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में पुलिस लाइन आजमगढ़ में एक व्यापक मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया।

श्रीमान जिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को पुलिस लाइन आजमगढ़ में फायर सर्विस टीम, सिविल डिफेन्स, मेडिकल स्टाफ आदि द्वारा एक व्यापक मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी संभावित अग्निकांड अथवा आपदा की स्थिति में त्वरित, प्रभावी एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा।

मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की काल्पनिक स्थिति उत्पन्न कर फायर सर्विस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अग्निशमन उपकरणों के माध्यम से आग पर काबू पाने, घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने तथा रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। साथ ही आपदा के समय विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय, संचार व्यवस्था एवं त्वरित निर्णय क्षमता का भी परीक्षण किया गया।

एडीएम महोदय व अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह द्वारा मौके पर उपस्थित रहकर मॉक ड्रिल का अवलोकन किया गया तथा फायर सर्विस टीम के कार्यों की सराहना की गई। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभ्यास नियमित रूप से कराए जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, फायर सर्विस, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.01.2026 जनपद आजमगढ़

*"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-**19.07.2022** को वादी मुकदमा नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त मोनू उर्फ सारिक पुत्र मुबारक अली निवासी अलीनगर कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 208/2022 धारा- 3(1) यूपी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक-23.01.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त मोनू उर्फ सारिक पुत्र मुबारक अली निवासी अलीनगर कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**